# न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
## मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

/2024

जीसीएमएस : 2024/31

अश्वनी कुमार पुत्र इन्द्र कुमार जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 20 रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।

—:वादी

बनाम

विमलादेवी पत्नि शंकरलाल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 21 रायसिहंनगर जिला अनूपगढ राज.।

प्रवीन कुमार पुत्र शंकरलाल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 21 रायसिहंनगर जिला अनूपगढ राज.।

मंजू पुत्री शंकरलाल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 21 रायसिहंनगर जिला अनूपगढ राज.।

बिन्दु पुत्री शंकरलाल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 21 रायसिहंनगर जिला अनूपगढ राज.।

सीमा पुत्री शंकरलाल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 21 रायसिहंनगर जिला अनूपगढ राज.।

रेखा पुत्री शंकरलाल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 21 रायसिहंनगर जिला अनूपगढ राज.।

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

—:प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—92—209 राज0 काश्त0 अधि0**

**त अधिवक्तागण**
**श्री राजीव जग्गा अधिवक्ता वादी**
**श्री हमेन्त शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण**

—:निर्णयः— दिनांक :—07.03.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के पिता संयुक्त हिन्द्र परिवार धारण करते थं वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 संयुक्त परिवार में रहते हुये अन्य सम्पतियों के अवाला वाके चक 33 एन पी तहसील रायसिहंनगर के खाता नं. 90/34 के मु.न. 37 पं.न. 195/332 में 0.759 है. बारानी , मु.न. 36प.न. 196/332 में 4.301 है. बारानी कुल 5.060 है. बारानी खातेदारी भूमि अर्जित की गयी थी। उक्त भूमि के अलावा संयुक्त परिवार में प्रतिवादी सं. 2 प्रवीण कुमार के नाम से चक 33 एन पी के खाता नं. 50/59 में दर्ज मु.न. 36 प.न. 196/332 के कि.न. 23 ता 25 के 0.759 है. बारानी खातेदारी भूमि भी अर्जित की गयी थी। उक्त भूमि संयुक्त परिवार में रहते हुये वादी के पिता व प्रतिवादी सं. 1ता 6 के पति/पिता द्वारा अर्जित की गयी थी। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पति/पिता ने घरेलु तौर पर पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से मौखक बंटवारा में उक्त भूमि वादी को दी थी। बंटवारा के रोज से लगातार वादी काब्जि चला आ रहा है तथा फसल काश्त की हुई है।उक्त भूमि पर मुझ वादी का कब्जा लगातार वा निर्बाध रूप से तथा प्रतिवादीगण स. 1 ता 6 ज्ञान के तहत शांति पूव्रक चला आ रहा है, इसलिए मै वादी उक्त सम्पत पर अपना हक घोषित करवा उक्त सम्पति राजस्व अभिलेखों में अपने नाम से दर्ज करवाने पाने का विधिक अधिकारी हूँ। उक्त भूमि वादी ने जाति बिरादरी एवं मौजिज व्यक्तियों की बमुकाम रायसिहंनगर में दिनांक 07—2—2024 को पंचायत की गयी जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 6 को ज्यादा जोर देकर उक्त भूमि का अमल—दरामद वादी के नाम से करवाये जाने हेतु कहाँ तो प्रतिवादीगण स्पष्ट इन्कार हो गये। बस यही तारीख बिनाऐ दावा एवं मुखास्मत दावा है वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 पति/पिता का देहान्त हो चुका है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 जायज वारिस एवं उत्तराधिकारी है। इसलिए उन्हें आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। राजस्थान लेण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने के कारण जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.26 16:43:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर



AnyScanner

तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया है। अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे कि वाके चक 33 एन पी तहसील रायसिंहनगर के खाता नं. 90/34 के मु.न. 37 पं.न. 195/332 में 0.759 है. बारानी , मु.न. 36प.न. 196/332 में 4.301 है. बारानी कुल 5.060 है. बारानी खातेदारी भूमि अर्जित की गयी थी। उक्त भूमि के अलावा संयुक्त परिवार में प्रतिवादी सं. 2 प्रवीण कुमार के नाम से चक 33 एन पी के खाता नं. 50/59 में दर्ज मु.न. 36 प.न. 196/332 के कि.न. 23 ता 25 के 0.759 है. बारानी खातेदारी भूमि भी संयुक्त परिवार की संयुक्त सम्पति होने व मौखिक घरेलु बंटवारा में वादी को प्राप्त होने के कारण उक्त सम्पति कृषि भूमि पर वादी का हक घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दर्ज कर हक घोषणा की डिक्री पारित फरमायी जावे। तथा वाद के लम्बन तक स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की फरमायी जावे कि वादी के कब्जा कश्त में चले रहे उक्त विवादित रकबा में स्वयं या उनका हितबद्व व्यक्ति या पश्चातवर्ती व्यक्ति मदाखलत बेजा करने वा रकबा उक्त किसी अन्य को हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रहे। खर्चा वाद पत्र वादी सादिर फरमाया जावे।

02. वादी के वाद पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 की ओर से श्री हमेन्त शर्मा अधिवक्ता हाजिर होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा जबाव दावा प्रस्तुत किया कि अपने जबाव दावा में अंकित किया कि वादी का वाद–पत्र डिक्री किया जावे तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। तथा प्रतिवादी सं. 7 जबाव स्टेट जरिये राजपेरोकार प्रस्तुत किया। अपने जबाव स्टेट में कोई विरोध प्रकट नहीं किया। वादी ने अपने साक्ष्य में अश्वनी कुमार पुत्र इन्द्रकुमार का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

03. पक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में अपने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वादी का वाद–पत्र के अनुसार डिक्री किया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में उनके द्वारा प्रस्तुत इकबाली जबाव दावा के तथ्यों को दोहराया। तथा कोई विरोध प्रकट नहीं किया। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रर्दश–1 वाके चक 33 एन पी की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता नं. 50/59 प्रर्दश–1 प्रवीण कुमार पुत्र शंकरलाल, वाके चक 33 एन पी की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता नं. 90/34 शंकरलाल पुत्र हरीकिशन तथा अश्वनीकुमार पुत्र इन्द्र कुमार का आधार कार्ड न. 575943871415 की फोटो प्रति प्रर्दश–2 प्रस्तुत की है। इस खण्डन में प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वाद–पत्र चाहे गये अनुतोष अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति एवं एतराज नहीं है। प्रतिवादीगण का एतराज नहीं होने के कारण वाद बिन्दु (Issues) कायम नहीं किये जा सकते।

04. पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी चक 33 एन पी सम्वत् 2073–2076, प.न. 196/332 मु.न. 37 की 0.7590 है. प्रवीण कुमार पुत्र शंकर लाल हिस्सा पूर्ण जाति सरावगी अग्रवाल के नाम अकेले दर्ज रिकॉर्ड है। तथा इसी ग्राम के प.न. 195/332 मु.न. 37 तादादी .7590 तथा प.न. 196/332 मु.न. 36 तादादी 4.3010 है. कुल 5.060 है. भूमि शंकरलाल पुत्र हरिकिशन जाति अग्रवाल निवासी रायसिंहनगर के नाम एकल खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि को वादी अपने नाम दर्ज करवाने हेतु खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना चाह रहा है। उक्त भूमि संयुक्त परिवार की सम्पति हो ऐसा कोई दस्तावेज वादी द्वारा पेश नहीं किया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यह प्रकरण विक्रय पत्र/दान पत्र का है। अतः सब रजिस्ट्रार कार्यालय रायसिहंनगर से इस सम्बन्ध में स्टाम्प डयूटी की गणना मंगवायी गई। उप पंजीयक कार्यालय रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांकः पंजीयन/2025/111 दिनांक 07.03.2025 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुस[illegible] देय है। स्टाम्प डयूटी पेश करने पर खातेदार वादी को घोषित कि[illegible] वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायाचित है।

–:आदेश:–

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वा[illegible] 88–92, 209 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाता है। अंतिम डिक्री बहक [illegible] इस आशय की जारी की जाती है कि चक 33 एन पी सम्वत् 2073–2076, प.न. 196/332 मु.न. 36 की 0.7590 है. प्रवीण कुमार पुत्र शंकर लाल हिस्सा पूर्ण जाति सरावगी अग्रवाल के

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.26 16:43:32 IST
Reason: SelfAttested



AnyScanner

नाम अकेले दर्ज रिकॉर्ड है। तथा इसी ग्राम के प.न. 195/332 मु.न. 37 तादादी 0.7590 तथा प.न. 196/332 मु.न. 36 तादादी 4.3010 है. कुल 5.060 है. भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/लेख भण्डार जमा हो।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को सुनाया गया ।

अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.26 16:43:32 IST
Reason: SelfAttested



AnyScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

# C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास : सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

प्र.सं. 11/2024

जीसीएमएस : 2024/31

1.अश्वनी कुमार पुत्र इन्द्र कुमार जाति अग्रवाल निवारी वार्ड नं. 20 रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।

–:वादी

बनाम

1. विमलादेवी पत्नि शंकरलाल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 21 रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
2. प्रवीन कुमार पुत्र शंकरलाल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 21 रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
3. मंजू पुत्री शंकरलाल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 21 रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
4. बिन्दु पुत्री शंकरलाल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 21 रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
5. सीमा पुत्री शंकरलाल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 21 रायसिंहनगर जिला अनूपगढ राज.।
6. रेखा पुत्री शंकरलाल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 21 रायसिंहनगर जिला अनूपगढ श्राज
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

–:प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–92–209 राज0 काश्त0 अधि0**

–:निर्णय:–

दिनांक :–07.03.2025

**यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री राजीव जग्गा अधिवक्ता वादी श्री हमेन्त शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण सहमति दी जाने पर हुकम दिया जाता है कि** उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र धारा 88–92ए–209 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाता है। अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आश्य की जारी की जाती है कि चक 33 एन पी सम्वत् 2073–2076, प.न. 196/332 मु.न. 36 की 0.7590 है. प्रवीण कुमार पुत्र शंकर लाल हिस्सा पूर्ण जाति सरावगी अग्रवाल के नाम अकेले दर्ज रिकॉर्ड है। तथा इसी ग्राम के प.न. 195/332 मु.न. 37 तादादी 0.7590 तथा प.न. 196/332 मु.न. 36 तादादी 4.3010 है. कुल 5.060 है. भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करने हेतु तहसीलदार रायसिंहनगर आदेश दिय जाते। वादी द्वारा स्टाम्प डयूटी चालान संख्या 102536723 दिनांक 20.03.2025 से कुल 153532/–रूपये बैंक में जमा करा दिये।

डिक्री आज दिनांक **20.03.2025** को जारी की गई।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

**उपखण्ड अधिकारी**
**रायसिंहनगर**

वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| 1.वाद पत्र के लिए कोर्ट फीस | 2.00 | 7.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | – |
| 2.वाद पत्र के लिए स्टाम्प डयूटी | 1,53,532 | 8.अर्जी के लिए स्टाम्प | – |
| 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प................ | | 9.प्लीडर की फीस | – |
| रूपये पर प्लीडर की फीस | – | 10.साक्षियों के लि | – |
| 4.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय | – | 11.आदेशिका की | – |
| 5.कमिश्नर की फीस | – | 12.कमिश्नर की | – |
| 6.आदेशिका की तामील | – | | – |
| | – | | – |
| जोड़ | 1,53,534 | जोड़ | – |

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

**उपखण्ड अधिकारी**
**रायसिंहनगर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.26 16:43:32 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner